राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 10(7)ग्रावि/नरेगा/संविदा/2017/135421 जयपुर, दिनांक 05 FEB 2018

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम,
जिला चित्तौड़गढ।

विषय :– संविदा कार्मिकों द्वारा वित्तीय अनियमितता के संबंध में।
प्रसंग :– आपका अ.शा. पत्र कमांक 816 दिनांक 27.12.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि कार्मिक विभाग के आदेश कमांक प. 6(5)(12)का./क–3/शिक्षा/12 दिनांक 13.12.2016 में वर्णित है कि संविदा कर्मियों के द्वारा किये गये अपराध के लिए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 197 एवं भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 की धारा 19 के अन्तर्गत कोई संरक्षण प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप राज्य सरकार/विभागाध्यक्ष/नियुक्ति अधिकारी के स्तर से अभियोजन की स्वीकृति जारी नहीं की जा सकती तथा पुलिस/भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सीधे ही माननीय सक्षम न्यायालय के समक्ष चालान पेश कर सकते है।

अतः उक्त निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करे।

भवदीय

(शाहीन अली खान)
अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम), ईजीएस

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलेक्टर, समस्त राजस्थान (चित्तौड़गढ के अलावा)
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समस्त राजस्थान।
3. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम), ईजीएस

Scanned by CamScanner